/

सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर
जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश

Email:deanspgmcmandsaur@gmail.com Website: www.spgmcmandsaur.org

क्रमांक ....16....../एसपीजीएमसी/स्था/राज/2026 मंदसौर दिनांक 07/01/2026

//आदेश//

सुंदरलालपटवाशासकीयचिकित्सामहाविद्यालय, मंदसौरकेविज्ञापनक्रमांक 2265/स्थापना/2025 मंदसौर दिनांक 31/12/2025 तथा 06/01/2026 को आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, निम्नलिखित उम्मीदवार को उल्लेखित विभाग में सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर निश्चित वेतन रू. 88,210/- प्रतिमाह पर एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	विषय	चयनित उम्मीदवारों का नाम	चयन श्रेणी	आवेदक की श्रेणी
1.	जनरल सर्जरी	डॉ. अंकिता मिश्रा	अनारक्षित	अनारक्षित
		डॉ. रमेश कुमार यादव	अनारक्षित	अनारक्षित
		डॉ. राहुल बिस्वास	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित
		डॉ. इन्शा लोधी	अनुसूचित जाति	अनारक्षित
2.	पैथोलॉजी	डॉ. पिकलेश जाटव	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
3.	मनोरोग	डॉ. रोहित चौधरी	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग
4.	स्त्री रोग	डॉ. शिखा मीणा	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
5.	शिशु रोग विभाग	डॉ. निशांत कुमार सिंह	अनारक्षित	अनारक्षित

<u>नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी</u> :-

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनका कार्यभार ग्रहण करना मान्य नही किया जायेगा।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के **07 दिवस** (कार्यालयीन दिवस) में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
3. चयनित प्रत्याशी द्वारा एक वर्ष की अवधि से पूर्व त्याग पत्र देने पर एक माह का नोटिस या एक माह का बेतन देना होगा।

य चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. यह नियुक्ति <u>एक वर्ष</u> हेतु है, इस नियुक्ति के तहत आवेदक को महाविद्यालय के अंतर्गत किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी एवं एक वर्ष बाद सेवा स्वत: समाप्त मानी जावेगी। एक वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति का नवीनीकरण विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए किया जा सकताहै।
6. इस नियुक्ति में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। शासन के पत्र क्रमांक 90 एफ-2-42/07/01/ 55 (पार्ट) दिनांक 12/01/2024 के नियमानुसार चयन किया गया।
7. यह नियुक्ति शासकीय संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं होगी।

9. संस्था के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

10. इन चिकित्सकों को एक वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी साथ ही उन्हें सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

11. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी। पुलिस वेरीफिकेशन में प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर नियुक्ति बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है।

12. रेसीडेन्ट से संबंधित सभी मामलों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13. सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। निजी प्रेक्टिस में सीनियर रेसीडेन्ट द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिभागिता पाये जाने के बाद अधिष्ठाता, सुं.प.शा.चि.म. मंदसौर द्वारा एकल निर्णय लेते हुए यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

14. चयनीत प्रत्याशी सीनियर रेसीडेन्ट की अवांछनीय गतिविधि अनुपस्थिति पर कार्यवाही सीनियर रेसीडेन्ट सेवा नियम क्रमांक 90/ एफ 2-42/2007/1/55 (पार्ट), भोपाल दिनांक 12/01/2024 में लिखित अनुशासन तथा नियंत्रण में उल्लेखित शर्तो के आधार पर की जावेगी।

ही अन्य पिछडा वर्ग से चयनित उम्मीदवार को वर्ष 2024-25 का आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वत: ही निरस्त माना जावेगा।

16. प्रशासनिक कारणों से आपकी सेवाये आकस्मिक चिकित्सा विभाग अथवा अन्य विभागों में ली जा सकेगी।

17. कार्यभार ग्रहण करने के समय पूर्व की संस्था में कार्यरत चिकित्सक द्वारा कार्यमुक्ति आदेश अथवा अनापत्ति प्रमाण जमा करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति पत्र स्वत: निरस्त माना जावेगा।

अधिष्ठाता
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

क्रमांक ..../एसपीजीएमसी/स्था/राज/2026 मंदसौर दिनांक ....

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्राध्यापक एवं विभागध्यक्ष ....विभाग सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
3. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड,सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
5. संबंधित सीनियर रेसीडेन्ट सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।

अधिष्ठाता
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)